कोचिंग संस्थानों के विनियमन हेतु दिशा-निर्देश

जनवरी 2024
उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

पृष्ठभूमि

1. यह मुद्दा छात्रों के बीच बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, आगजनी की दुर्घटनाएँ, समुचित सुविधा की कमी के साथ-साथ शिक्षण पद्धति से संबंधित मामलों के विषय में समय-समय पर सरकार का ध्यानाकर्षित करता रहा है।
2. किसी निर्धारित नीति या विनियमन के अभाव में देश भर में अनियमित निजी कोचिंग संस्थानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे संस्थानों द्वारा छात्रों से अत्यधिक फीस वसूलने, छात्रों पर अनुचित दबाव के परिणामस्वरूप छात्रों द्वारा आत्महत्या करने, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जीवन की क्षति और इन केंद्रों द्वारा अपनाई जाने वाली कई अन्य कदाचार की घटनाएँ मीडिया द्वारा व्यापक रूप से प्रकाशित की गई हैं।
3. इस मुद्दे को कई बार संसद में बहस, चर्चा और प्रश्न के माध्यम से उठाया गया है।
4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि +2 तक की शिक्षा का विनियमन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए इन संस्थानों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अच्छे तरीके से विनियमित किया जाता है।
5. इस संबंध में स्टूडेंड फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूओआई एवं अन्य द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका डब्ल्यूपी संख्या 456/2013 दायर की गई थी जिसमे एक प्रतिवादी के रूप में शिक्षा मंत्रालय भी था। दिनांक 03.02.2017 की इस जनहित याचिका का निपटान अन्य बातों के साथ-साथ इस निर्देश द्वारा किया गया था कि यद्यपि याचिका में उठाए गए मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी यह मूलरूप से एक नीतिगत मामला है। इस मुद्दे को संबधित अधिकारियों के संज्ञान मे लाने हेतु याचिकाकर्ता स्वतंत्र हैं जो नियमानुसार इस पर विचार कर सकते हैं।
6. निजी कोचिंग संस्थान के विनियम से संबंधित मुद्दे के संदर्भ में संसद और अशोक मिश्र समिति के पत्रांक संख्या 32-6/2017 टीएसआई, दिनांक 04.04.2017 के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ऐसे विपथगामी संस्थान के लिए विनियम बनाने और कठोर दंडात्मक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। साथ ही इस पत्र के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों की आत्महत्या के समाधान हेतु न्यायमूर्ति रूपनवाल जाँच आयोग द्वारा सुझाए गए 12 उपायों पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।
7. इस संदर्भ में दिनांक 14.08.2019 का वृहद पत्रांक 32-6/2017 द्रष्टव्य है, जिसमें कोचिंग संस्थानों के विनियम के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि वे उपयुक्त कानूनी रूपरेखा के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में आनेवाले कोचिंग संस्थानों के विनियमन हेतु आवश्यक कार्रवाई करे, क्योंकि इनमें से कई कोचिंग संस्थान विद्यालय स्तर पर संचालित होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन हैं।
8. पुनः वृहद पत्रांक 32-18/2023 टीएसआई दिनांक 24.12.2020 के पत्रांक का संदर्भ देते हुए 04.04.2017 और 14.08.2019 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनावश्यक शोषण से बचने हेतु उपयुक्त कानूनी रूपरेखा के माध्यम से इन कोचिंग संस्थानों को विनियममित करने का अनुरोध किया गया था।
9. हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद 29.07.2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा की गई थी। एनईपी 2020 के मूल सिद्धांतों में से एक 'आज 'कोचिंग संस्कृति' को प्रोत्साहित करने वाले सतत मूल्यांकन के स्थान पर नियमित रूप से अधिगम के रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाए'।
10. एनईपी 2020 के पैरा 4.36 में बोर्ड और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति, आज की कोचिंग संस्कृति और इसके हानिकारक प्रभाव को चिह्नित किया गया है।

11. एनईपी 2020 के पैरा 4.37 में सुझाव दिया गया है कि बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की वर्तमान पद्धतियों में सुधार किए जाने चाहिए जिससे कोचिंग कक्षा की उपादेयता ही न रहे।
12. पैरा 4.38 में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी सुझाव दिया गया है कि अधिक लचीलापन, छात्रों के लिए चयन का विकल्प और अधिकतम-दो-प्रयास वाले आँकलन जो मुख्य रूप से क्षमताओं का परीक्षण करते हैं, तथा बोर्ड परीक्षाओं के अधिक व्यवहार्य प्रारूप विकसित करते हैं वो दबाव और कोचिंग संस्कृति को कम करते हैं।
13. एनईपी 2020 के पैरा 4.42 में कहा गया है कि, 'विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा प्रणाली एकसमान होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) उच्चतर गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षा, साथ ही विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में हर वर्ष कम-से-कम दो बार विशिष्ट सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी। इन परीक्षाओं में अवधारणात्मक समझ और ज्ञान क्षमता का परीक्षण किया जाएगा, और इन परीक्षाओं हेतु कोचिंग की आवश्यकताओं को समाप्त करने पर जोर रहेगा। छात्र उन विषयों का चयन कर सकेंगे जिसमें वे परीक्षा देने की रूचि रखते हों, प्रत्येक विश्वविद्यालय छात्रों का व्यक्तिगत विषय पोर्टफोलियो देख सकेगा और छात्रों की अभिरूचि और प्रतिभा के अनुसार उन्हे अपने कार्यक्रम में प्रवेश दे सकेगा।'
14. हाल ही में जारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कोंचिंग संस्कृति को समाप्त करने की रणनीति से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।
15. सरकार द्वारा एनईपी 2020 के अनुरूप देश के उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) में सीटों की संख्या में बढोत्तरी एवं, अधिक गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना जैसे मुद्दों के समाधान तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए 13 क्षेत्रीय भाषाओं में एक सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) के आयोजन का पहल की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) में विद्यालयों के पाठ्यचर्या और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित मामलों पर ध्यान देने हेतु उचित कदम उठाए जा रहे हैं जो वर्तमान अवांछनीय स्थिति में सुधार की दिशा में कार्य करेंगे।
16. इसी क्रम में छात्रों को नीट (यूजी) और जेईई (मुख्य) प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु अभ्यास करने के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) नें 'नेशनल टेस्ट अभ्यास' नाम ले उच्च गुणवत्ता वाला निःशुल्क मोबाइल एप लॉन्च किया गया है।
17. इस विषय को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा भी संज्ञान में लिया गया है कि यदि कोचिंग संस्थानों/निजी उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
18. शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, अतः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा भी इस मामले पर सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है।
19. कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उचित कानूनी रूपरेखा के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आनेवाले निजी कोचिंग संस्थानों और ट्यूशन कक्षाओं को विनियमित करने हेतु पहल की है, जैसेकि बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) अधिननयम, 2010 [बिहार अधिनियम 17, 2010], गोवा कोचिंग क्लासेस (विनियमन) अधिनियम, 2001 (2001 का गोवा अधिनियम 27), उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 [यूपी अधिनियम संख्या 5, 2002], कर्नाटक ट्यूटोरियल संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2001 [कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 143 के उप-धारा(1) में प्रदत्त शक्तियों हेतु तैयार (1995 का कर्नाटक अधिनियम 1)], मणिपुर कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2017 (2017 का

अधिनियम संख्या 8) आदि की धारा 142 के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त, राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक 2023 भी सार्वजनिक क्षेत्रों में है और हाल ही में कोचिंग संस्थानों में नामांकित छात्रों के तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2023 को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

20. यद्यपि निजी कोचिंग संस्थानों, अनधिकृत निजी कोचिग संस्थानों की संख्या से संबंधित मामलों के समाधान हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, इसके लिए एक प्रारूप दिशा-निर्देश/नीति तैयार करने की आवश्यकता है, जिसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उपयुक्त कानूनी रूपरेखा द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता सकता है।

21. केंद्र सरकार निजी कोचिंग संस्थानों से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु उपयुक्त कानूनी रूपरेखा के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए प्रारूप दिशा-निर्देश/नीति तैयार करने का प्रस्ताव देता है।

1. शीर्षक

कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण एवं विनियमन हेतु दिशा-निर्देश 2024

2. दिशा-निर्देश का उद्देश्य

किसी अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा एवं शैक्षिक सहायता में छात्रों के उचित मार्गदर्शन एवं सहायता हेतु कोचिंग संस्थान के विनियमन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।

3. दिशा-निर्देश की आवश्यकता

(i) कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु रूपरेखा प्रदान करना।

(ii) कोचिंग संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक मानक आवश्यकताओं का सुझाव देना।

(iii) कोचिंग संस्थान में नामांकित छात्रों के हित की रक्षा करना।

(iv) छात्रों के समग्र विकास हेतु कोचिंग संस्थान के सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करने का सलाह देना।

(v) छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु कैरियर मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना।

4. परिभाषा

(i) 'अपीलीय प्राधिकारी' से तात्पर्य है संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी;

(ii) 'कोचिंग' से तात्पर्य किसी शाखा में 50 से अधिक संख्या में छात्रों को प्रदान किए जाने वाले ट्यूशन, निर्देश और मार्गदर्शन से है लेकिन इसमे परामर्श, खेल, नृत्य, रंगमंच सहित अन्य रचनात्मक गतिविधियाँ शामिल नहीं है;

(iii) 'कोचिंग संस्थान' से तात्पर्य है किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित संस्थान जहाँ 50 से अधिक छात्रों हेतु किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर किसी अध्ययन कार्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग अथवा छात्रों को शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है;

(iv) 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी है;

(v) 'सरकार' से तात्पर्य है उचित क्षेत्राधिकार वाला केंद्र सरकार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार;

(vi) 'संस्थान' से तात्पर्य है केंद्र, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के अधिनियम के तहत स्थापित ऐसे विद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थान जो किसी बोर्ड से संबद्ध, या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियंत्रित या मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालय या सह-संबद्ध महाविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा इसके अंतर्गत स्थापित शैक्षणिक संस्थाएँ;

(vii) 'व्यक्ति' से तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह, कार्पोरेट निकाय, न्यास, कंपनी, समाज या संस्था से है;

(viii) 'मालिक' से तात्पर्य है किसी कोचिंग संस्थान के मालिक, संयुक्त मालिक जो पंजीकरण चाहता है एवं पंजीकृत है;

(ix) 'अनुशिक्षक' से तात्पर्य है वैसे व्यक्ति जो किसी कोचिंग संस्थान में छात्रों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देता है। इसमे विशेष अनुशिक्षक भी शामिल है।

(x) 'विश्वविद्यालय' से तात्पर्य है केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय, इसके अंतर्गत वैसे संस्थान भी शामिल हैं जिन्हें संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से यूजीसी अधिनियमो के अंतर्गत मान्यता दी गई हो।

5. कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण

(i) वही व्यक्ति कोचिंग की स्थापना, संचालन, प्रबंधन एवं रख-रखाव कर सकता है जिसने दिशा-निर्देशों के अनुरूप संस्था का पूर्व पंजीकरण कर लिया हो।

(ii) कोई कोचिंग संस्थान दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की तिथि के पूर्व से ही अस्तित्व में है, तो उसे कार्यान्वयन तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

(iii) कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण हेतु आवेदन उस सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वह कोचिंग संस्थान अवस्थित है, दस्तावेजों के साथ शुल्क उस क्षेत्र के संबंधित सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(iv) किसी कोचिंग संस्थान की एकाधिक शाखा होने की स्थिति में प्रत्येक शाखा को अलग कोचिंग संस्थान माना जाएगा और प्रत्येक शाखा के पंजीकरण हेतु अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(v) सक्षम प्राधिकारी, कोचिंग संस्थान के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पर तीन माह के भीतर या तो निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रदान करेंगे या ऐसे पंजीकरण के अस्वीकृत करने के कारणों को बताते हुए आवेदक को लिखित रूप इसकी जानकारी देंगे।
यद्यपि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना पंजीकरण अस्वीकरण का आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(vi) पंजीकरण प्रमाण-पत्र के वैधता की अवधि संबंधित सरकार द्वारा तय की जाएगी, जब तक किसी कारण से उसे पहले रद्द नहीं कर दिया गया हो।

(vii) प्रत्येक पंजीकृत कोचिंग संस्थान को पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से दो माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शुल्क और दस्तावेजों के साथ ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे जो संबंधित सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए हों।

(viii) सक्षम प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु भुगतेय शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर पंजीकरण की अवधि समाप्ति के पूर्व आवेदन पर नवीनीकरण हेतु निर्णय लेकर प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं, अस्वीकरण की स्थिति में पंजीकरण समाप्ति की अवधि के पूर्व आवेदक को अस्वीकरण का कारण लिखित रूप में दिया जा सकता है।

यद्यपि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना पंजीकरण अस्वीकरण का आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(ix) संबंधित सरकार कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण की सुविधा हेतु आभासी रूप में एक न्यूनतम मानव इंटरफेस वेब-पोर्टल/ऑनलाइन तंत्र विकसित करेगा।

6. पंजीकरण की शर्तें

(i) कोई भी कोचिंग संस्थान-

- (a) स्नातक उपाधि से कम योग्यता वाले अनुशिक्षकों की नियुक्ति नही करनी चाहिए ।
- (b) कोचिंग संस्थान में नामांकन हेतु माता-पिता/ छात्रों को उत्तम रैंक अथवा उत्तम अंक प्राप्ति की गारंटी जैसा भ्रामक दावा नहीं करना चाहिए।
- (c) 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों अथवा माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा के उपरांत ही छात्रों का नामांकन करना चाहिए।
- (d) कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता अथवा उसके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं ऐसी कक्षाओं में भाग लेनेवाले छात्रों द्वारा प्राप्त परिणाम के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी दावे से संबंधित भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित करने, करवाने अथवा प्रकाशन मे भाग नहीं लेगा।
- (e) यदि इसमें प्रति छात्र न्यूनतम स्थान आवश्यकता से कम है तो, पंजीकरण नहीं करना चाहिए।
- (f) किसी ऐसे अनुशिक्षक या व्यक्ति की सेवा नहीं लेगा जिसे नैतिक अधमता से संबंधित अपराध का दोषी पाया गया हो।
- (g) जबतक उसके पास दिशा-निर्देशों के आवश्यकतानुरूप परामर्श प्रणाली न हो, पंजीकृत नही होना चाहिए।

(ii) कोचिंग संस्थानों की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, उसके पूर्ण होने की अवधि, छात्रावास की सुविधा (यदि कोई हो), भुगतेय शुल्क का विवरण, आसान निकास नीति, शुल्क वापसी नीति, संस्थान से कोचिंग लेनेवाले छात्रों की संख्या और अंततः उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने में सफल छात्रों की संख्या आदि का उल्लेख होना चाहिए।

(iii) इन दिशा-निर्देशों से संबंधित प्रणाली के अभाव में आवश्यकतानुसार स्थानीय क्षेत्राधिकार में लागू अलग पंजीकरण नियमों, अधिनियमों, विनियमों आदि का पालन करेगा।

7. पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेज

(i) कोचिंग संस्थान के मालिक द्वारा संस्थान के पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ एक शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा जो-

(a) वह मात्र 'पंजीकृत कोचिंग संस्थान' शब्द का उपयोग करेगा और किसी साइन बोर्ड अथवा किसी सूचीपत्र या पत्राचार या किसी प्रकार के संचार अथवा किसी स्थान पर 'मान्यता प्राप्त' या 'संबद्ध' शब्द का उपयोग नहीं करेगा;

(b) वैसे छात्र जो किसी विद्यालय अथवा संस्थान में पढ़ रहे हों, विद्यालय की कक्षावधि में कोचिंग कक्षा संचालित नहीं करेगा;

(c) वेबसाइट और कोचिंग संस्थान के परिसर में प्रमुख स्थान के सूचना पट्ट पर शिक्षकों की योग्यता, कोचिंग कक्षा की समय सारणी, लिया गया शुल्क और कोचिंग कक्षा के संबंध में निर्दिष्ट सामान्य जानकारी आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा;

(d) उस कोचिंग संस्थान में नियुक्त अनुशिक्षक या व्यक्ति किसी नैतिक अधमता और अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, साथ ही अनुशिक्षकों के रोजगार में किसी प्रकार के बदलाव के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को अविलंब सूचित किया जाएगा;

(e) कोचिंग कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की निर्दिष्ट संख्या से संबंधित शर्तों का पालन करेगा;

(f) इस दिशा-निर्देश का अन्य नियम और शर्तों का पालन करेगा।

(ii) पंजीकरण नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा लेखापरीक्षित खाता विवरण की एक प्रति संलग्न की जाएगी।

8. शुल्क

(i) विभिन्न पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्याओं के लिए उचित ट्यूशन शुल्क लिया जाना चाहिए और लिए गए शुल्क की रसीद उपलब्ध की जानी चहिए।

(ii) कोचिंग संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्याओं, उसके पूरा होने की अवधि, कक्षाओं की संख्या, व्याख्यान ट्यूटोरियल, छात्रावास की सुविधा (यदि कोई हो), लिए जानेवाले शुल्क का अद्यतन विवरण, आसान निकास नीति, शुल्क वापसी आदि का उल्लेख करते हुए एक सूचीपत्र जारी करना होगा। ये सभी विवरण भवन परिसर में प्रमुख और सुलभ स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(iii) सूचीपत्र, नोट्स और अन्य सामग्री कोचिंग संस्थान द्वारा अपने नामांकित छात्रों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान की जाएगी।

(iv) यदि छात्र द्वारा पाठ्यक्रम का पूरा शुल्क जमा कर दिया गया है और वह निर्धारित अवधि के बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में छात्रों को शेष अवधि के शुल्क में से आनुपातिक आधार पर 10 दिनों के भीतर शुल्क वापसी कर दी जाएगी। यदि छात्र कोचिंग संस्थान के छात्रावास में रहते हों तो छात्रावास शुल्क और मेस शुल्क आदि भी वापस कर दिए जाएंगे।

(v) किसी भी परिस्थिति में वह शुल्क जिसके आधार पर किसी विशेष पाठ्यक्रम और अवधि के लिए नामांकन किया गया है, पाठ्यक्रम के अवधि के दौरान नहीं बढ़ाया जाएगा।

9. बुनियादी आवश्यकताएँ

(i) कोचिंग संस्थान को अपनी मूल संरचना के अंतर्गत एक कक्षा/बैच में प्रत्येक छात्र के लिए न्यूनतम एक वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित करना होगा। नामांकित छात्रों की संख्या के समानुपात में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होगा।

(ii) कोचिंग संस्थान के भवन में अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड एवं अन्य मानकों का पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयुक्त अधिकारियों से अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(iii) छात्रों की सहायता हेतु कोचिंग संस्थान में प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सकीय सहायता/उपचार की सुविधा रखनी होगी। अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं के लिए चिकित्सक, पुलिस हेल्पलाइन विवरण, अग्निशमन सेवा हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन आदि जैसी आवश्यक सेवाओं की सूची प्रदर्शित करना तथा छात्रों को इनके बारे में जानकारी देनी होगी।

(iv) कोचिंग संस्थान का भवन पूरी तरह से विद्युतीकृत, अच्छे हवादार होंगे और भवन के प्रत्येक कक्ष में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।

(v) संस्थान के सभी छात्र और कर्मचारियों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना होगा।

(vi) कोचिंग संस्थान में जहाँ भी आवश्यक हो, पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखनी होगी।

(vii) छात्रों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कोचिंग संस्थान में एक शिकायत पेटी या रजिस्टर रखना होगा। कोचिंग संस्थान में छात्रों की शिकायतों/परिवाद के निवारण के लिए समिति बनानी होगी।

(viii) कोचिंग संस्थान भवन परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था करनी होगी।

10. पाठ्यचर्या

10.1 कक्षाएँ

(i) कोचिंग संस्थान सूचीपत्र में निर्धारित समय में कक्षाएँ पूरी करने का प्रयास करेगा।

(ii) संस्थानों/विद्यालयों में पढ़ रहे उन छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएँ उनके संस्थानों/विद्यलयों के समय के दौरान आयोजित नहीं की जाएँगी, ताकि ऐसे संस्थानों/ विद्यलयों में उनकी नियमित उपस्थिति प्रभावित हो और आभासी विद्यालयों से भी बचा जा सके।

(iii) जिन छात्रों को अतिरिक्त शैक्षिक सहायता की आवश्यकता हो, उन्हें सुधारारात्मक या सहायक कक्षाएँ प्रदान की जाएँ।

(iv) पाठ्यचर्या/कक्षा समय सारिणी इस प्रकार से बनानी चाहिए जो छात्रों को आराम करने और स्वस्थ रहने सहायक हो इस प्रकार, उन पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाना चाहिए।

(v) कोचिंग संस्थान को छात्रों एवं शिक्षकों को साप्ताहिक अवकाश देना होगा।

(vi) साप्ताहिक अवकाश के दिन किसी प्रकार की मूल्यांकन परीक्षा/परीक्षा का आयोजन नहीं करना होगा।

(vii) कोचिंग संस्थान संबंधित क्षेत्र के महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहारों पर छुट्टियों को इस तरह से व्यवस्थित करेगा कि छात्र अपने परिवार के साथ जुड़े रहें और उन्हें भावनात्मक प्रोत्साहन मिलता रहे।

(viii) कोचिंग संस्थान इस तरह से कोचिंग कक्षाएँ संचालित करेंगे कि यह किसी छात्र के लिए अतिशय और एक दिन में 5 घंटे से अधिक न हो तथा कोचिंग का समय न तो सुबह बहुत जल्दी हो और न ही शाम को बहुत देर तक।

(ix) कोचिंग संस्थान छात्रों के समग्र विकास और संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास हेतु सहपाठ्यचारी क्रियाकलाप कक्षाएँ आयोजित करेंगे। कोचिंग संस्थानों को मुख्य विषयों को पढ़ाने के साथ-साथ शिक्षकों, कर्मचारी और सभी छात्रों के लिए जीवन कौशल, वैज्ञानिक प्रकृति और साक्ष्य-आधारित सोच, सृजनात्मकता एवं अभिनवता, तंदुरुस्ती,स्वास्थ्य, भावनात्मक जुड़ाव, मानसिक स्वास्थ्य, वय-जन्य चुनौतियों; अभिप्रेरणा; सहयोग एवं सामूहिक कार्य; समस्या समाधान एवं तार्किक विचार; नीतिपरक एवं नैतिक तर्क शक्ति; मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान तथा अभ्यास; व्यक्तिगत सुरक्षा (लिंग संवेदीकरण एवं दुरूपयोग की रोकथाम), मौलिक कर्तव्यो; नागरिकता मूल्य एवं कौशल; भारतीय ज्ञान, पर्यावरणीय जागरूकता, आरोग्यता एवं स्वच्छता पर परामर्श सत्र भी आयोजित करना चाहिए।

10.2 कोचिंग संस्थानों की आचार संहिता

(i) प्रत्येक कक्षा/बैच में नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या को सूचीपत्र में स्पष्ट रूप से देना होगा एवं वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कक्षा/बैच में ऐसे नामांकन में वृद्धि नहीं की जाएगी।

(ii) प्रत्येक कक्षा में स्वीकृत छात्रों की संख्या एक स्वस्थ शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखने और अनुशिक्षक और परामर्शदाताओं के साथ संबंध बनाने के लिए अधिक अवसर पैदा करने की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्र अनुशिक्षक से जुड़े और छात्र के पास स्क्रीन/श्यामपट्ट तक सुगम दृश्यता और पहुँच हो।

(iii) कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयुवर्ग के छात्र का नामांकन नहीं करेगा या छात्र का नामाकन केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही कर सकता है।

(iv) छात्रों को पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले परीक्षा की कठिनाईयों, पाठ्यक्रम, तैयारी की गहनता के स्तर और छात्र को आवश्यक प्रयासों के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराया जाएगा।

(v) छात्रों को शैक्षिक वातावरण, सांस्कृतिक जीवन, वास्तविकताओं और विद्यालय स्तर की परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बीच अंतर के बारे में जागरूक किया जाएगा।

(vi) इंजीनियरिंग एवं मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के विकल्पों के अतिरिक्त छात्रों को अन्य पेशेवर विकल्पों की जानकारी भी प्रदान की जाए, ताकि वे अपने भविष्य को लेकर तनावग्रस्त न हों और वैकल्पिक पेशे के नए विकल्पों को चुन सकें।

(vii) छात्र की क्षमता का आँकलन करने हेतु प्रवेश या मौखिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। छात्र की क्षमता और रुचि के अनुरूप, कोचिंग संस्थान छात्र के माता-पिता को उसकी यथार्थवादी उम्मीदें और क्षमता को बता कर आगे का रास्ता सुझा सकता है।

(viii) कोचिंग संस्थान को छात्रों और अभिभावकों को इस बात से अवगत कराना होगा कि मात्र कोचिंग संस्थान में प्रवेश मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून आदि संस्थानों में प्रवेश या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की गारंटी नहीं है।

(ix) मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के सहयोग से समय-समय पर कोचिंग संस्थान को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कार्यशालाएँ एवं संवेदीकरण सत्र आयोजित कराने चाहिए।

(x) कोचिंग संस्थान को छात्रों और अभिभावकों के बीच शिक्षण, पाठ्यक्रम की समय-सीमा और कोचिंग संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों पर अनावश्यक मानसिक दबाव और अपेक्षाओं के बोझ से होने वाले नकारात्मक प्रभावों के संबंध में परामर्श दिया जा सकता है।

(xi) कोचिंग संस्थान अपने द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम को सार्वजनिक नहीं करेगा। मूल्यांकन परीक्षा को गोपनीय रखते हुए इसका उपयोग मात्र छात्रों के नियमित प्रदर्शन विश्लेषण के लिए करेगा और जिस छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो रहा हो, उसे इस दिशा-निर्देश के प्रावधानों के अनुसार परामर्श प्रदान करना होगा।

11. परामर्शदाता एवं मनोवैज्ञानिक सहायता

(i) कोचिंग संस्थानों को छात्रों में उच्च प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारणों को ध्यान रखकर, उनकी मानसिक भलाई के लिए उचित कदम उठाते हुए बिना किसी अनुचित दबाव के अपने छात्रों हेतु कक्षाएँ संचालित करनी चाहिए। साथ ही, उन्हें संकट और तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को लक्षित और अनवरत सहायता प्रदान करने एवं तात्कालिक हस्तक्षेप के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए।

(ii) सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि कोचिंग संस्थान द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाए और यह छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं के नाम और उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के समय की जानकारी सभी छात्रों और अभिभावकों को दी जा सकती है। छात्रों और अभिभावकों के प्रभावी मार्गदर्शन और परामर्श की सुविधा हेतु कोचिंग संस्थान में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जा सकती है।

(iii) कोचिंग संस्थानों द्वारा मानसिक तनाव और अवसाद के समाधान हेतु छात्रों को परामर्श देने और मनोचिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं और अनुभवी मनोवैज्ञानिकों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(iv) छात्रों की अभिरुचि, योग्यता एवं क्षमता के आँकलन हेतु कैरियर परामर्शदाताओं को शामिल किया जा सकता है, और तदनुसार सर्वोत्तम कैरियर विकल्प चुनने हेतु यथार्थवादी अपेक्षाओं वाले छात्रों तथा उनके माता-पिता को मार्गदर्शन एवं परामर्श दिया जा सकता है।

(v) कोचिंग संस्थान द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और तनाव की रोकथाम पर माता-पिता, छात्रों और शिक्षकों हेतु नियमित कार्यशालाएँ एवं जागरूकता सप्ताह आयोजित किए जा सकते हैं। इसे स्वास्थ्य, अच्छे पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा में बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ शराब, तंबाकू और अन्य दवाओं के अहितकर और हानिकारक प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या पर भी केंद्रित होना चाहिए। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, लचीलेपन और स्व-जतन की जिम्मेदारी के संदर्भ में संस्थान द्वारा माता-पिता के लिए आयोजित अंतःक्रिया सत्र में सकारात्मक देखभाल के मामले पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

(vi) शिक्षको को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि वे छात्रों को उनके सुधार क्षेत्रों के बारे में प्रभावी और संवेदनशील तरीके से जानकारी दे सकें।

(vii) परामर्श के भाग के रूप में कोचिंग संस्थान को अंतःक्रिया पीयर समूह स्थापित करना चाहिए। कोचिंग संस्थान परिचर्चाओं, प्रतियोगिताओं और परियोजनाओं में समूह-आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास आयोजित कर सकता है।

(viii) छात्रों के शंकाओं का समाधान कक्षा में पढ़ाए गए शिक्षको द्वारा किया जाए जिससे कि छात्रों को संतुष्टि का अनुभव हो।

(ix) कोचिंग संस्थान मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु अधोवर्णित रूपरेखा का पालन करेगाः

मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की रूपरेखा		
समस्या का स्तर	**सम्मलित होने वाले हितधारक**	**व्यवधान का स्तर**
मानसिक स्वस्थता	समग्र संस्थानिक समुदाय	संस्थागत पाठ्यचर्या में एकीकृत मानसिक स्वस्थता
मानसिक सवास्थ्य का ज्ञान अभिवृत्ति और व्यवहार	सभी छात्र एवं अनुशिक्षक	मानसिक स्वस्थता – सामान्य स्वास्थ्य पाठ्यचर्या में
मनोसामाजिक समस्याएँ	परामर्शदाता, शिक्षकअनु , पीर मेटर, संरक्षक एवं नागरिक	जरूरतमंद छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना
गंभीर समस्याएँ विकार/	परामर्शदाता, संस्थानिक चिकित्सक एवं अन्य विशेषज्ञ	व्यावसायिक प्रबंधन

12. समावेशिता एवं अभिगम्यता

(i) कोचिंग संस्थान प्रवेश और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी आवेदक/छात्र के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

(ii) कोचिंग संस्थान द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व वाले कमजोर समुदायों जैसे महिला, दिव्यांग और सीमांत समूहों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

(iii) कोचिंग संस्थान का भवन और आसपास का परिसर दिव्यांगों के अनुकूल होगा और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(iv) शिक्षकों को अधिगम अक्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाए एवं अधिगम अक्षमताओं वाले छात्रों को सहज महसूस कराया जा सके

(v) दिव्यांगानुकूल प्रावधान जैसे ब्रेल, ई-रीडर और शौचालय आदि जहाँ भी संभव हो किए जा सकते हैं।

(vi) उन दिव्यांग छात्रों को सहायक कक्षाएँ प्रदान की जा सकती हैं जिन्हें अपनी शिक्षा में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो।

(vii) शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर बैच का पृथक्करण नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे छात्रों पर अत्यधिक दबाव तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। छात्रों के प्रवेश/प्रवेश के क्रम में बैच का गठन किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम पूरा होने तक बैच को नहीं बदला जाएगा।

13. अभिलेखों का अनुरक्षण

(i) कोचिंग संस्थान को ऐसे अभिलेख , खाते, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों को तैयार एवं अनुरक्षित कराने चाहिए, जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(ii) कोचिंग संस्थान रिकार्ड हेतु सक्षम प्राधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट जमा कर सकता है।

14. कोचिंग संस्थानों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध

कोचिंग संस्थान को अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित स्थान पर ही कक्षाएँ संचालित करनी होंगी और सक्षम प्राधिकारी की लिखित मंजूरी के बिना, अपने पंजीकृत स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।

15. कोचिंग संस्थानों के गतिविधियों की जाँच

सक्षम प्राधिकारी, या संबंधित सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी कोचिंग संस्थान के गतिविधियों की सतत निगरानी करेगा और किसी भी कोचिंग संस्थान से पंजीकरण संबंधी आवश्यक पात्रता की जाँच तथा कोचिंग संस्थान की संतोषजनक गतिविधियों के बारे में पूछ-ताछ करेगा।

16. शिकायतों का निस्तारण

(i) कोचिंग संस्थानों के खिलाफ छात्र, अभिभावक या अनुशिक्षक/कर्मचारी द्वारा और कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों/अभिभावकों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पहले शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी या संबंधित सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित जाँच समिति शिकायतों का निपटारा तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

(ii) सक्षम प्राधिकारी या इस मामले लिए गठित जाँच समिति की रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी जुर्माना लगाएगा या पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई करेगा।

17. दंड

(1) सक्षम प्राधिकारी के पास सिविल न्यायालयों की शक्ति होगी। सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी मुकदमे पर विचार करने के लिए ऐसी शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केंद्रीय अधि. सं. 5) के तहत अदालतों में निहित है: -

(i) शपथ पत्र के माध्यम से सबूत के साथ साक्ष्य स्वीकार करना;

(ii) किसी व्यक्ति को बुलाना एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जाँच करना;

(iii) अभिलेखों को तैयार करने हेतु बाध्य करना; और

(iv) खर्च अधिनिर्णीत करना,

(2) पंजीकरण या सामान्य नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के मामले में, कोचिंग संस्थान निम्नानुसार दंड का उत्तरदायी होगाः

(i) प्रथम अवमानना पर 25,000/- रु

(ii) द्वितीय अवमानना पर 1,00,000/- रु

(iii) लगातार अवमानना पर पंजीकरण रद्द करना

18. पंजीकरण रद्द करना

यदि संबंधित प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोचिंग संस्थान किसी ऐसे प्रावधान अथवा दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया है जो उसे पंजीकरण के समय दिशानिर्देशित किया गया था और वह किसी नियम एवं शर्त के प्रतिकूल है तो उसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगाः

जबकि प्रधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र धारक को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दिए बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

19. पुनर्विचार प्रक्रिया

किसी कोचिंग सेंटर को पंजीकृत करने से इनकार करने या नवीनीकरण या पंजीकरण रद्द करने के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर, संबंधित सरकार के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उचित मध्यम से अपील कर सकता है।

*****